



राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

प्रलिस के ललल:

मानव तसकरी, जाली मुद्रा या बैंक नोट, साइबर-आतंकवाद, NIA, सूचीबद्ध अपराध, आतंकवाद, LWE, उग्रवाद, कट्टरता, NIA अधनललम 2008

मेन्स के ललल:

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इसका कार्य और क्षेत्राधिकार, कट्टरता- मुद्रा, चुनौतललल, समाधान ।

चर्चा में क्यूल?

हाल ही में **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency- NIA)** ने दो लूलुुु के खललल एक **प्राथमकी/प्रथम सूचना रललरट** दर्ज की है, जललल कथलल रूप से युवालुुु को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में गरललरतार कललल गया था ।

- NIA ने दो लूलुुु पर भारतीय दंड संहललल की वभलनलन धाराुुु और **गैरकानूनी गतवलधल रोकथाम अधनललम (Unlawful Activities Prevention Act- UAPA), 1967** के तहत आरोप लगाए हैं ।

नोट: **कट्टरता** वह प्रकरललल है जसलके द्वारा एक वलकतललल समूह **चरम वशलवासुुु और वचलरधाराुुु को अपनाता** है जो मुख्यधारा के **समाज के मूल्युुु, मानदंडुुु एवं कानूनुुु को असवलकार या वशलध करतुे हैं** । इसमें प्रालल: प्रचार, प्रेरक बयानबाज़ी तथा प्रेरक वलकतललल या समूहुुु का जोखमलल शामिल होता है जो चरमपंथी वचलरुुु व वचलरधाराुुु को बढ़ावा देतुे हैं ।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण:

- **परचलल:**
 - NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसलल है जो **आतंकवाद, उग्रवाद** और अनूय **राष्ट्रीय सुरक्षा** मामलुुु से संबंधलल अपराधुुु की जाँच एवं मुकदमा चलाने हेतु ज़मलमेदार है ।
 - कसलल देश में संघीय एजेंसलललुुु के पास वशलष रूप से उन मामलुुु पर अधिकार क्षेत्र होता है जो पूरे देश को प्रभावलल करतुे हैं, न कल केवल अलग-अलग राज्युुु या प्रान्तुुु से संबंधलल हुेतुे हैं ।
 - **वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलुुु** के बाद **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, 2008** के तहत इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी, यह गृह मंत्रालय के तहत संचाललल हुेतुे है ।
 - राष्ट्रलल अन्वेषण अभिकरण अधनललम, 2008 में बदलाव करतुे हुए **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधनललम, 2019** को जुलाई 2019 में पारलल कललल गया था ।
 - राष्ट्रलल अन्वेषण अभिकरण के पास राज्य पुलसल बलुुु और अनूय एजेंसलललुुु से प्राप्त आतंकवाद से संबंधलल मामलुुु की जाँच करने की शकतलल है । इसके पास **राज्य सरकारुुु से पूर्व अनुमतलल प्राप्त कललल बना राज्य की सीमाुुु के मामलुुु की जाँच करने का भी अधिकार** है ।
- **कार्य:**
 - आतंकवाद और अनूय राष्ट्रलल सुरक्षा मामलुुु से संबंधलल **खुफललल सूचनाुुु का संग्रह, वशल्लेषण और प्रसार करना** ।
 - **आतंकवाद** और राष्ट्रलल सुरक्षा से संबंधलल मामलुुु में भारत एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनूय कानून प्रवर्तन एजेंसलललुुु के साथ समन्वय करना ।
 - **कानून प्रवर्तन एजेंसलललुुु और अनूय हतलधारकुुु के ललल कषमता नरलमाण कार्यक्रम आयोजलल करना** ।
- **जाँच क्षेत्र:**
 - NIA के जाँच के तरलके अलग-अलग हुे सकते हैं । NIA अधनललम, 2008 की धारा 6 के तहतराज्य सरकार **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जाँच के ललल केंद्र सरकार को सूचीबद्ध अपराधुुु से संबंधलल मामलुुु का उललेख कर सकतलल है** ।

- केंद्र सरकार NIA को अपने हिसाब से भारत के भीतर अथवा वदेश में किसी सूचीबद्ध अपराध की जाँच करने का नरिदेश दे सकती है।
- UAPA तथा कुछ सूचीबद्ध अपराधों के तहत अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिये एजेंसी को **केंद्र सरकार की मंजूरी** लेनी होती है।
- **वामपंथी उग्रवाद (LWE)** के आतंकी वतितपोषण से संबंधित मामलों से नपिटने के लिये एक विशेष प्रकोषट है। किसी सूचीबद्ध अपराध की जाँच के दौरान NIA उससे जुड़े किसी अन्य अपराध की भी जाँच कर सकती है। अंत में जाँच के बाद मामलों को NIA की विशेष अदालत के समकष प्रस्तुत कया जाता है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभकिरण (संशोधन) अधनियिम, 2019 के तहत कयि गए परविरतन:

- **भारत के बाहर अपराध:**
 - NIA के पास मूल रूप से भारत के भीतर अपराधों की जाँच करने की शकती थी, लेकनि संशोधति अधनियिमम्वइसे **भारत के बाहर कयि गए अपराधों की जाँच करने** की अनुमति देता है, जब तक कयिह **अंतरराष्ट्रीय संधयिों और शामलि देशों के कानूनों का** पालन करता है।
 - केंद्र सरकार का मानना है कअगर कोई अपराध भारत के बाहर कया गया है, लेकनि **अधनियिम के अधकिार कषेत्र** में आता है, तो वह NIA को मामले की जाँच करने का नरिदेश दे सकती है।
- **कानून का वसित्तुत दायरा:**
 - **NIA अधनियिम की अनुसूची** में सूचीबद्ध अपराधों की जाँच NIA कर सकती है।
 - अनुसूची में मूल रूप से **परमाणु ऊर्जा अधनियिम, 1962**, गैरकानूनी गतविधियिों (रोकथाम) अधनियिम, 1967 और अपहरण-रोधी अधनियिम, 1982 जैसे अधनियिम शामलि थे।
 - संशोधन के साथ NIA अब इससे संबंधित मामलों की भी जाँच कर सकती है:
 - **मानव तसकरी**
 - **नकली मुद्रा या बैंक नोट**
 - नषिदिध हथयार
 - **साइबर आतंकवाद**
 - वसिफोटक पदारथ अधनियिम, 1908 के तहत अपराध
- **वशिष न्यायालय:**
 - अधनियिम, 2008 ने **अधनियिम के तहत** मामलों की सुनवाई के लिये वशिष न्यायालयों की स्थापना की।
 - वर्ष 2019 का संशोधन केंद्र सरकार को **अधनियिम के तहत सूचीबद्ध अपराधों** की सुनवाई के लिये सत्र न्यायालयों को वशिष न्यायालयों के रूप में नामति करने की अनुमति देता है।
 - ऐसा करने से पहले केंद्र सरकार को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामरश करना होगा। यदएक कषेत्र में कई वशिष न्यायालय मौजूद हैं, तो **मामले को सबसे वरषिठ न्यायाधीश द्वारा सौंपा जाएगा**।
 - राज्य सरकारें सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई के लिये सत्र न्यायालयों को वशिष न्यायालयों के रूप में नामति कर सकती हैं।

सूचीबद्ध अपराध:

- अधनियिम की अनुसूची उन अपराधों की एक सूची नरिदषिट करती है जनिकी जाँच के साथ ही NIA द्वारा मुकदमा चलाया जाना है।
- सूची में शामलि हैं:
 - **वसिफोटक पदारथ अधनियिम**
 - **परमाणु ऊर्जा अधनियिम**
 - **गैर-कानूनी गतविधियिों (रोकथाम) अधनियिम**
 - **अपहरण वरिधी अधनियिम**
 - **नागरकि उड्डयन अधनियिम की सुरकषा के खलिाफ गैर-कानूनी अधनियिमों का दमन**
 - **सारक अभसिमय (आतंकवाद का दमन) अधनियिम**
 - **महाद्वीपीय शेलफ अधनियिम पर समुद्री नेवगिशन और नशिचति प्लेटफॉर्मों की सुरकषा के खलिाफ गैर-कानूनी कृत्यों का दमन**
 - **सामूहकि वनिाश के हथयार और उनकी आपूरता पिरणाली (गैर-कानूनी गतविधियिों नषिध) अधनियिम**
 - **भारतीय दंड संहति, शसत्र अधनियिम और सूचना प्रौद्योगकि अधनियिम के तहत कोई अन्य प्रासंगकि अपराध।**
 - **नारकोटकि ड्रग्स एंड साइकोट्रोपकि सबसटेंस एकट**

स्रोत: इंडयिन एकस्प्रेस